राजस्व अपील संख्या 557/2022

अनवान

हरि सिंह बनाम राज्य

दिनांक 17–10–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉं, जिला जोधपुर के द्वारा ग्राम भाखरी ढाणी बाबत प्रकरण क्रमांक/कोर्ट/2021/ निर्णय दिनांक शून्य सरकार बनाम प्रदीपसिंह वगैराह के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉं, जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, ओसिया उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच करे, मौका फर्द तथा मौका नक्शा तैयार करे। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की सुनवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,

जोधपुर